'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2016
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.05.2016
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 19 ● अंक 12 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 मई, 2016

सांसद, डॉ. उदित राज ने मध्य प्रदेश के 60 हजार दलितों के लिए लोक सभा में उठायी आवाज

नई दिल्ली, 2 मई। **सांसद डॉ. उदित राज** ने आज शून्यकाल के दौरान लोकसभा में पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा शनिवार, 30 अप्रैल 2016 को शासकीय विभागों में आरक्षण पर प्रमोशन दिए जाने सम्बन्धी प्रावधान को अवैध करार कर दिया है। हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने मध्य प्रदेश सिविल सर्विस प्रमोशन(पदोन्नति) नियम 2002 में आरक्षण से संबन्धित अधिकार को खत्म कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि 2002 का नियम सुप्रीम कोर्ट के एम. नागराज बनाम भारत सरकार के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुरूप नहीं है। डॉ. उदित राज ने संसद में कहा कि यदि मध्य प्रदेश सिविल सर्विस प्रमोशन नियम 2002 एम. नागराज के अनुरूप नहीं था तो सरकार को निर्देशित करते हुए यह कहा जा सकता था कि इसको दुरुस्त किया जाये। हाईकोर्ट एम. नागराज के

डॉ. उदित राज

निर्णय को आधार मान सकती थी और यह बिल्कुल जरूरी नहीं था कि पदोन्नति में आरक्षण समाप्त हो। लगभग 60,000 कर्मचारियो की पदोन्नति पर कोर्ट के इस फैसले से दलित समाज की बहुत हानि होगी। उन्होने अनुरोध किया कि इस पर फौरन रिव्यू पिटिसन या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके आदेश पर रोक लगाया जाये ताकि हजारों अनुसूचित - जाति, जनजाति कर्मचारियों, अधिकारियों की क्षति को

> "इसी का परिणाम रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई को पदोन्नति में आरक्षण जारी रखने का फैसला दिया"

बचाया जा सके।

उन्होने कहा जब परिस्थितियाँ और तथ्य आरक्षण के पक्ष में होते हैं तो प्रायः उच्च न्यायपालिका लाभ नहीं देती है लेकिन तकनीकी कमी या कोई और वजह हो तो आरक्षण के खिलाफ में निर्णय देने में त्वरित कार्यवाही करती है। हाल में नैनीताल हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति के ऊपर टिप्पणी किया और इस तरह से सभी के बहीखाता का मूल्यांकन करते रहते हैं। जबकि इनका हिसाब किताब कौन करे? सरकार के द्वारा संविधान में संसोधन करके नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमिशन बनाया गया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब उच्च न्यायपालिका शिकायत कर रही है कि उसके यहाँ मुकदमे वर्षो से लंबित हैं। वर्ष 1993 से सुप्रीम कोर्ट का कोलोजियम ही जजों कि नियुक्ति करता रहा है तो ऐसे में उनके पास लगभग सबकुछ तो है फिर शिकायत किससे है। डॉ उदित राज ने कहा कि उच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कर रही है और इस तरह के निर्णय से संविधान के संतुलन पर गहरा असर पड़ेगा। इस निर्णय को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। ✦✦✦

समान अवसर के लिए खोज

नेपोलियन बोनापार्ट ने सही कहा था कि ''अवसर के बिना योग्यता कुछ नही।'' टीना डाबी के मामले में यह वाक्यांश बिल्कुल सटीक बैठता है। महज़ 22 वर्ष की उम्र में सिविल सर्विसेस परीक्षा 2015 में टॉप किया। इससे न केवल टॉप करने की खबर तेज़ी से फैली बल्कि जाति का भी खूब जोर-शोर से जिक्र हुआ। प्रथमतयः मुझे अविश्वसनीय लगा और बाद में मैंने नेपोलियन के वाक्यांश को ट्वीट किया, जिसकी मीडिया में भी चर्चा हुई। यह 40-50 साल पहले संभव न होता और मिले हुए अवसर का ही लाभ इन्हें मिला है। इनके पिता बीएसएनएल में जीएम और माँ इंजीनियर उससे न केवल अच्छा माहौल मिला बल्कि आरक्षण से माँ-बाप की संपन्नता का भी लाभ मिला।

आरक्षण हमेशा विवादों का विषय बना रहता है और कुछ लोग सोचते हैं कि इससे दक्षता के ऊपर असर पड़ रहा है। औरों को लगता है कि उनका हक मार दिया गया है। भारत में सिविल सर्विसेस की शुरुआत वर्ष 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। मैकाले ने 1854 में पहली बार प्रोफेशनल

टीना डाबी

नौकरशाही की संस्तुति की। ईस्ट इंडिया कंपनी के ढांचे में नौकरशाही के बदले में स्थायी सिविल सर्विस को लागू किया गया। जो प्रतियोगिता के आधार पर थी। अंग्रेजों के मुक़ाबले में भारतीय प्रतियोगिता में टिक नहीं पा रहे थे। दादा भाई नौरोजी ने इसके लिए आंदोलन चलाया और परिणाम स्वरूप 1886 में साठ में से 9 भारतीय नामित किए गए। प्रथम दृष्टया यह उल्लेख सार्थक नहीं लगता लेकिन इसका गहरा असर मायने रखता है। जो लोग आज आरक्षण के आलोचक हैं, उन्हें इतिहास में झांक कर देखना चाहिए कि जब भारतीय अंग्रेजों के मुक़ाबले में प्रतियोगिता में टिक नहीं पा रहे थे तो इसका आशय यह है कि बिना अवसर के योग्यता बेईमानी है। अंग्रेजी हुकूमत में सवर्ण अपने लिए आरक्षण की मांग करते थे। 1932 में पूना पैक्ट के बाद दलितों को आरक्षण मिला क्योंकि इनकी भागीदारी शासन प्रशासन में न के बराबर थी। इसके बाद फिर मण्डल कमीशन के द्वारा पिछड़ों को आरक्षण मिला।

अमेरिका के मेसिगन विश्वविद्यालय एवं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर अश्वनी देशपांडे ने एक संयुक्त अध्यन किया कि आरक्षण कि वजह से दक्षता पर क्या असर पड़ता है? अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकला कि आरक्षण से कोई प्रतिकूल असर नहीं हुआ बल्कि उत्पादकता में बढ़ोत्तरी ही हुई है। रेलवे विभाग का अध्ययन किया गया तो देखा गया कि जहां पर अनुसूचित - जाति जनजाति के कर्मचारी अधिक थे। वहां पर परिणाम बेहतर थे। यह अध्ययन एक विशेष समयकाल के लगातार प्रभाव और उत्पादकता पर आधारित था। आरक्षण का प्रतिकूल असर कहीं देखने को नहीं मिला। यह भी पाया गया कि कमजोर वर्ग से जो आते हैं। वे असुरक्षा की भावना या चुनौती के कारण ज्यादा प्रयास करते हैं और खासकर वे लोग जो उच्च जगह पर होते हैं।

आरक्षण से कोई हानि नहीं हुई बल्कि इससे समाज एकजुट हुआ है।

शेष पृष्ठ 2 पर ....

अंबेडकरवादियों से सवाल

भारत का संविधान खतरे में है और अंबेडकरवादी मस्त पड़े है। जन्मदिन मनाना लगता है कि साल भर के लिए संगठन, संघर्ष, शिक्षा की ज़िम्मेदारी से मुक्ति। मानसिकता ऐसी बन गयी है कि पूरे साल तक इंतज़ार करते है कि जब जयंती आएगी तो खूब धूमधाम से मनाएंगे। जब जयंती मनाना ही अपना कर्तव्य समझने लगे हैं तो अधिकार के लुटने की चिंता कहाँ। भले ही संविधान कमजोर कर दिया जाए लेकिन जयंती मनाने की मेडल प्राप्ति की होड़ में कैसे इसकी चिंता हो। अनुसूचित जाति जनजाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ बढ़-चढ़ कर के जयंती मनाता है लेकिन वह याद और प्रेरणा के लिए। अधिकार सदस्यता, संगठन, धरना प्रदर्शन, घेराव से मिलते हैं। जब तक सांगठनिक और लड़ने की क्षमता नहीं पैदा करेंगे तब तक न तो संविधान को बचा पाएंगे और न ही अपनी घटती हुई भागीदारी पर रोक।

बाबा साहब ने मूर्ति पूजा को कभी प्रोत्साहित नहीं किया, लेकिन ज़्यादातर अंबेडकरवादियों ने ठान रखा है कि हम यही करेंगे। हाल में जबलपुर हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण छीन लिया। डॉ. उदित राज ने संसद में सवाल उठाया कि न्यायपालिका कानून बनाने वाली संस्था- संसद के अधिकार को लगातार छीन रही है। कानून बनाने का अधिकार जन प्रतिनिधियों को है न कि जजों को। देश में लाखों स्थानों पर जयंतियाँ मनाई गयी लेकिन कितनी जगह पर इस बात की चर्चा हुई कि बाबा साहब के संविधान को न्यायपालिका बर्बाद कर रही है। न्यायपालिका यह कार्य 1993 से करती आ रही है तो कहाँ गए हमारे दलित संगठन, सामाजिक, राजनैतिक कार्यकर्ता और नेता? इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद का चित्र नहीं लगा सकते और न ही पूजा पाठ और माल्यार्पण, फिर भी इस्लाम कितना तेज़ी से फैला। वहाँ पर पैगंबर को ही नहीं बल्कि उनके विचार को भी मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बाबा साहब को ज्यादा मानते हैं, उनके विचार को नहीं। क्या बाबा साहब का विचार संविधान में नहीं है? इसको लगातार खत्म किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भागीदारी और सम्मान का आरक्षण ही एक मात्र साधन है। वह छिन गया तो हमे गुलाम बनने से कौन रोक सकता है? गुजरात हाईकोर्ट के जज जे एस परदीवाल ने निर्णय में लिखा था कि आरक्षण और भ्रष्टाचार देश को बर्बाद कर रहे हैं। डॉ. उदित राज ने लोक सभा में उनके खिलाफ दो बार ललकारा और महाअभियोग चला करके पद से हटाने कि मांग की। इस दबाव के कारण परदीवाल को अपना निर्णय बदलना पड़ा।

जितने अंबेडकारवादी जन्म दिन पर सक्रिय दिखते हैं, अगर उसका दस प्रतिशत भी संविधान बचाने की चिंता करें तो देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। अनुसूचित जाति/ जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के अलावा कौन सा ऐसा संगठन है जो न्यायपालिका के अन्याय का विरोध कर रहा हो। यही संगठन था जो अपने शुरुआती दौर 1998 में सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया किया था।

-डॉ उदित राज

मिशन अम्बेडकर

अगर आपको लगता है कि अंग्रेज भारत के लुटेरे और अन्यायी थे तो आप गलत है। अंग्रेजों द्वारा आपके लिए की गई उपलब्धियां भी जान लीजिये और जानिये ब्राम्हणों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किये गए आंदोलन की वजह....

1. अंग्रेजो ने 1795 में अधिनियम 11 के द्वारा शुद्रों को भी सम्पत्ति रखने का कानून बनाया।
2. 1773 में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने रेगुलेटिग ऐक्ट पास किया जिसमें न्याय व्यवस्था समानता पर आधारित थी। 16 मई 1775 को इसी कानून द्वारा बंगाल के सामन्त ब्राह्मण नन्द कुमार देव को फांसी हुई थी।
3. 1804 अधिनियम 3 के द्वारा कन्या हत्या पर रोक अंग्रेजों ने लगाई (लडकियों के पैदा होते ही उन्हें तालु में अफीम चिपकाकर, माँ के स्तन पर धतूरे का लेप लगाकर, एवं गढ्ढा बनाकर उसमें दूध डालकर डुबो कर मारा जाता था।
4. 1813 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर शिक्षा ग्रहण करने का सभी जातियों और धर्मो के लोगों को अधिकार दिया।
5. 1813 में दास प्रथा का अंत करने के लिए कानून बनाया।
6. 1817 में समान नागरिक संहिता कानून बनाया (1817 के पहले सजा का प्रावधान वर्ण के आधार पर था। ब्राह्मण को कोई सजा नही होती थी ओर शुद्र को कठोर दंड दिया जाता था। अंग्रेजों ने सजा का प्रावधान समान कर दिया।)।
7. 1819 में अधिनियम 7 के अनुसार ब्राह्मणों द्वारा शूद्र स्त्रियों के शुद्धिकरण पर रोक लगाई। (शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन को अपने यानि दूल्हे के घर न जाकर कम से कम तीन रात ब्राह्मण के घर शारीरिक सेवा देनी पड़ती थी।)
8. 1830 नरबलि प्रथा पर रोक (देवी-देवता को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण शूद्रों, स्त्री व पुरुष दोनों को मन्दिर में सिर पटक-पटक कर चढ़ा दिया जाता था।)
9. 1833 अधिनियम 87 के द्वारा सरकारी सेवा में भेद भाव पर रोक अर्थात योग्यता ही सेवा का आधार स्वीकार किया गया तथा कम्पनी के अधीन किसी भारतीय नागरिक को जन्म स्थान, धर्म, जाति या रंग के आधार पर पद से वंचित नही रखा जा सकता है।
10. 1834 में पहला भारतीय विधि आयोग का गठन हुआ। कानून बनाने की व्यवस्था जाति, वर्ण, धर्म और क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर करना आयोग का प्रमुख उद्देश्य था।
11. 1835 प्रथम पुत्र को गंगा दान पर रोक (ब्राह्मणों ने नियम बनाया की शूद्रों के घर यदि पहला बच्चा लड़का पैदा हो तो उसे गंगा में फेंक देना चाहिये।

    पहला पुत्र हष्ट-पुष्ट एवं स्वस्थ पैदा होता है। यह बच्चा ब्राह्मणों से लड़ न पाए इसलिए पैदा होते ही गंगा को दान करवा देते थे।
12. 7 मार्च 1835 को लार्ड मैकाले ने शिक्षा नीति राज्य का विषय बनाया और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा का माध्यम बनाया गया।
13. 1835 को कानून बनाकर अंग्रेजों ने शुद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया।
14. दिसम्बर 1829 के नियम 17 के अनुसार विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर सती प्रथा का अंत किया।
15. देवदासी प्रथा पर रोक लगाई। ब्राह्मणों के कहने से शुद्र अपनी लडकियों को मन्दिर की सेवा के लिए दान देते थे। मन्दिर के पुजारी उनका शारीरिक शोषण करते थे। बच्चा पैदा होने पर उसे फेंक देते थे और उस बच्चे को हरिजन नाम देते थे।

    1921 को जातिवार जनगणना के आंकड़े के अनुसार अकेले मद्रास में कुल जनसंख्या 4 करोड़ 23 लाख थी जिसमें 2 लाख देवदासियां मन्दिरों में पड़ी थी। यह प्रथा अभी भी दक्षिण भारत के मन्दिरो में चल रही है।
16. 1837 अधिनियम द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया।
17. 1849 में कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय जे ई डी बेटन ने स्थापित किया।
18. 1854 में अंग्रेजों ने 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता मद्रास और बॉम्बे में स्थापित किये। 1902 मे विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया।
19. 6 अक्टूबर 1860 को अंग्रेजों ने इंडियन पैनल कोड बनाया। लार्ड मैकाले ने सदियों से जकड़े शूद्रों की जंजीरों को काट दिया और भारत में जाति, वर्ण और धर्म के बिना एक समान क्रिमिनल लॉ लागू कर दिया।
20. 1863 अंग्रेजों ने कानून बनाकर चरक पूजा पर रोक लगा दिया (आलिशान भवन एवं पुल निर्माण पर शूद्रों को पकड़कर जिन्दा चुनवा दिया जाता था इस पूजा में मान्यता थी की भवन और पुल ज्यादा दिनों तक टिकाऊ रहेगें।
21. 1867 में बहु विवाह प्रथा पर पूरे देश में प्रतिबन्ध लगाने के उद्देश्य से बंगाल सरकार ने एक कमेटी गठित किया ।
22. 1871 में अंग्रेजों ने भारत में जातिवार गणना प्रारम्भ की। यह जनगणना 1941 तक हुई । 1948 में पण्डित नेहरू ने कानून बनाकर जातिवार गणना पर रोक लगा दी।
23. 1872 में सिविल मैरिज ऐक्ट द्वारा 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं एवम् 18 वर्ष से कम आयु के लड़को का विवाह वर्जित करके बाल विवाह पर रोक लगाई।
24. अंग्रेजों ने महार और चमार रेजिमेंट बनाकर इन जातियों को सेना में भर्ती किया लेकिन 1892 में ब्राह्मणों के दबाव के कारण सेना में अछूतों की भर्ती बन्द हो गयी।
25. रैयत वाणी पद्धति अंग्रेजों ने बनाकर प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया।
26. 1918 में साऊथ बरो कमेटी को भारत में अंग्रेजों ने भेजा। यह

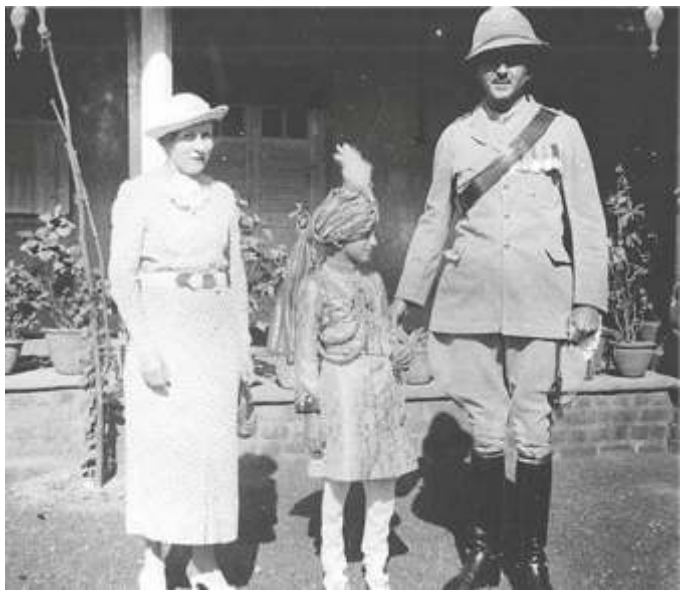

कमेटी भारत में सभी जातियों का विधि मण्डल (कानून बनाने की संस्था) में भागीदारी के लिए आया था। शाहू जी महाराज के कहने पर पिछड़ो के नेता भाष्कर राव जाधव ने एवं अछूतों के नेता डॉ. अम्बेडकर ने अपने लोगों को विधि मण्डल में भागीदारी के लिये मेमोरेंडम दिया।

27. अंग्रेजो ने 1919 में भारत सरकार अधिनियम का गठन किया।
28. 1919 में अंग्रेजो ने ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगा दी थी और कहा था की इनके अंदर न्यायिक चरित्र नही होता है।
29. 25 दिसम्बर 1927 को डॉ. अम्बेडकर द्वारा मनु समृति का दहन किया।
30. 1 मार्च 1930 को डॉ. अम्बेडकर द्वारा काला राम मन्दिर (नासिक) प्रवेश का आंदोलन चलाया।
31. 1927 को अंग्रेजों ने कानून बनाकर शूद्रों के सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार दिया।
32. नवम्बर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की। जो 1928 में भारत के लोगों को अतिरिक्त अधिकार देने के लिए आया। भारत के लोगों को अंग्रेज अधिकार न दे सके इसलिए इस कमीशन के भारत पहुँचते ही गांधी ने इस कमीशन के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। जिस कारण साइमन कमीशन अधूरी रिपोर्ट लेकर वापस चला गया। इस पर अंतिम फैसले के लिए अंग्रेजों ने भारतीय प्रतिनिधियों को 12 नवम्बर 1930 को लन्दन गोलमेज सम्मेलन में बुलाया।
33. 24 सितम्बर 1932 को अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया जिसमें प्रमुख अधिकार निम्न दिए :- वयस्क मताधिकार, विधान मण्डलों और संघीय सरकार में जनसंख्या के अनुपात में अछूतों को आरक्षण का अधिकार, सिक्ख, ईसाई और मुसलमानों की तरह अछूतों को भी स्वतन्त्र निर्वाचन के क्षेत्र का अधिकार मिला। जिन क्षेत्रों में अछूत प्रतिनिधि खड़े होंगे उनका चुनाव केवल अछूत ही करेगें। प्रतिनिधियों को चुनने के लिए दो बार वोट का अधिकार मिला जिसमें एक बार सिर्फ अपने प्रतिनिधियों को वोट देंगे दूसरी बार सामान्य प्रतिनिधियों को वोट देगे।
34. 19 मार्च 1928 को बेगारी प्रथा के विरुद्ध। डॉ. अम्बेडकर ने मुम्बई विधान परिषद में आवाज उठाई। जिसके बाद अंग्रेजों ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया।
35. अंग्रेजों ने 1 जुलाई 1942 से लेकर 10 सितम्बर 1946 तक डॉ. अम्बेडकर को वायसराय की कार्य साधक कौंसिल में लेबर मेंबर बनाया। लेबरो को डॉ. अम्बेडकर ने 8.3 प्रतिशत आरक्षण दिलवाया।
36. 1937 में अंग्रेजों ने भारत में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव करवाया।
37. 1942 में अंग्रेजों से डॉ. अम्बेडकर ने 50 हजार हेक्टेयर भूमि को अछूतों एवम् पिछड़ो में बाट देने के लिए अपील किया। अंग्रेजों ने 20 वर्षो की समय सीमा तय किया था।
38- अंग्रेजों ने शासन प्रसासन में ब्राह्मणों की भागीदारी को 100 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत पर लाकर खड़ा कर दिया था। इन्ही सब वजाह से ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति शुरू कर दी क्योकि अंग्रेजों ने शूद्रों को सारे अधिकार दे दिए थे और सब जातियों के लोगो को एक समान अधिकार देकर सबको बराबरी में लाकर खड़ा किया।

https://www.facebook.com/775467302499791/photos/a.990507077662478.1073741829.775467302499791/1091390220907496/?type=3

✦✦✦

समान अवसर के लिए खोज

पृष्ठ 1 का शेष ....

पहले शासन-प्रशासन में एक बड़ी आबादी की भागीदारी न होना यह महसूस करता था कि जैसे उनको देश से मतलब ही न हो। जो लोग व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखते हैं उन्हें जलन होता है। लेकिन इसी को जब राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाता है तो भागीदारी से देश कि उन्नति और खुशहाली हुई है। अमेरिका में आरक्षण अफरमेटिव ऐक्शन की शक्ल में है, वहां पर कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है बल्कि ऐच्छिक है फिर भी जितना तेज़ी से वहां के वंचित अफ्रीकन- अमरीकन, मूल निवासी एवं मैक्सिकन मुख्य धारा में शामिल हुए उतना हमारे यहां नहीं। खेल, मीडिया, इंडस्ट्री, राजनीति और लगभग सभी क्षेत्रों में इन वंचितों की भागीदारी तेज़ी से बढ़ी है। दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट की टीम बन नहीं सकती थी, यदि अश्वेत लोगों को स्थान न दिया जाता। मानव विज्ञान और विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि योग्यता जन्म से नहीं होती बल्कि अवसर और सुविधा की वजह से। जिसे भी अवसर मिलेगा वह योग्यता को हासिल कर सकता है। प्रसिद्ध दार्शनिक लॉक्स ने कहा कि दिमाग एक स्लेट की तरह है और उस पर जो लिखा जाए वही ज्ञान और अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि ज्ञानेन्द्रियों के अनुभव से दिमाग पर छाप छूटती है और परिणाम ज्ञान एवं समझ भी इसी तरह कार्य करते हैं। हमारे यहाँ मेरिट कि चर्चा ज्यादा ही होती है क्योंकि इससे आरक्षण के पक्ष को कमजोर करना होता है। जो इस तरह के तर्क देने वाले होते हैं उन्हें दुनिया के और देशों पर नज़र डाल कर देखना चाहिए कि उनके मुक़ाबले में अभी भी हम पीछे हैं, चाहे वह शोध हो या तकनीक की इजात। बुद्धजीवी और मध्यम वर्ग समाज में परिवर्तन करता है लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं हुआ है। सारे क्षेत्र में तरक्की की अपेक्षाएँ राजनीतिज्ञों से होती हैं जो अनुचित है। हमारे यहां की शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं शिक्षित कर पाती है। देश के पास इतनी बड़ी शिक्षा व्यवस्था है, अगर उसने ज़िम्मेदारी निभाई होती तो सामाजिक परिवर्तन होता और हजारों अन्वेषण और तकनीक की इजात। हमारा समाज व्यक्तिवादी ज्यादा है और उसी दृष्टिकोण से चीजों का ज़्यादातर मूल्यांकन होता है। ऐसे लोग यह सोचते हैं कि आरक्षण की वजह से ही उन्हें अवसर नहीं मिला। हाल में सिविल सर्विसेस का जो परिणाम घोषित हुआ उसमें 1078 सीटें थी। मान लिया जाए यदि आधी सीटें आरक्षित हैं जिससे अनारक्षित वर्ग वंचित हो गया। यदि इन आधी सीटों को अनारक्षित वर्ग को दे दिया जाता तो क्या उनकी बेरोजगारी दूर हो जाती? कदापि नहीं । महिलाओं को भी इसी तरीके से अवसर नहीं मिले इसलिए उनके लिए भी किया जाना चाहिए। इन वंचितों को मौका मिलते रहना चाहिए ताकि आने वाले भारत में टीना डाबी अपवाद न रहे बल्कि स्वाभाविक रूप से दलित-आदिवासी महिलाएं एवं पिछड़े एक दिन आरक्षण के बिना इस मुकाम पर पहुंचे।

- डॉ. उदित राज

दैनिक समाचार पत्र सन्मार्ग में 1 मई को प्रकाशित लेख

भारत के परिपेक्ष में मई दिवस

दुनिया के तमाम लोगों को अभी भी यह नहीं पता है कि 1 मई को क्यों याद किया जाता है ? 66 देशों में 1 मई को अवकाश घोषित होता है। जब अमरीका का औद्योगीकरण तेज़ गति से हो रहा था तो मजदूरों का शोषण भी बढ़ा। 1860 के बाद वहाँ पर मजदूरों के आंदोलन शुरू हुए और यह महसूस किया जाने लगा की पूंजीवाद व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए है। अमेरिका में देश स्तर का एक सम्मेलन 1884 में शिकागो में फेडरेसन ऑफ ऑर्गनाइज्ड ट्रेडर्स और लेबर यूनियन द्वारा सम्पन्न हुआ जिसमें फैसला लिया गया कि 8 घंटे कार्य को लीगल डे लेबर 1 मई 1886 से लागू किया जाएगा। 1 मई 1886 के दिन लगभग 3 लाख मजदूर 13 हज़ार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से हड़ताल पर गए और यहीं से मजदूर दिवस की शुरूआत हुई।

भारत में औद्योगीकरण बीसवीं सदी में शुरू हुआ। कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में हुई। छुटपुट तौर पर यहां भी मई दिवस मनाना शुरू हुआ। धीरे-धीरे मजदूरों से संबन्धित सभी संगठन इनके हित में मई दिवस को मनाने लगे। सरकार ने भी अवकाश घोषित शुरू कर दिया है। मजदूरों के हित में शुरुआती लड़ाई अमरीका और यूरोप में ही हो चुकी थी और तमाम सारी सुविधाएं और अधिकार भी उन्हें प्राप्त हो चुके थे। भारत में मजदूर आंदोलन उतना शक्तिशाली नहीं हो पाया जिसका एक कारण यह भी है कि सुविधाओं और अधिकारों को लेकर तमाम नियम और कानून यूरोप और अमेरिका में बन चुके थे। 1917 में बोल्सेविक क्रांति रूस में हुई जिसका असर पूरी दुनिया पर तो पड़ा ही और ऐसे में भारत कैसे अछूता रह सकता? 1942 से लेकर 1946 तक बाबा साहब डॉ. अंबेडकर वायसराय के काउंसिल में थे और उन्होंने सदस्य रहकर मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया। औरतों को समान कार्य के लिए समान वेतन भत्ता इत्यादि का अधिकार मिला। आज़ाद भारत में तमाम सुधार और आंदोलन होते रहे लेकिन जो धार यूरोप, रूस और अमेरिका में मजदूर आंदोलन की रही वह भारत में नहीं हो पायी।

भारत के परिपेक्ष्य में हमारे मजदूर आंदोलन का चरित्र वह नहीं रहा जबकि जरूरत थी कि परिस्थितियों के अनुसार यह होता। दूसरे देशों में मजदूरों की एक जाति रही है और है भी लेकिन हमारे यहां धरना-प्रदर्शन के समय तो सभी मजदूर हैं, ऐसा बोध कराने की कोशिश किया गया लेकिन जाति हावी रही। बड़े उद्योगों में हड़ताल, धरना-प्रदर्शन तो हुए लेकिन छोटे व्यवसाय, खुदरा व्यापार और कृषि आदि क्षेत्रों में कार्यरत मजदूर को बोध नही हो पाया कि उनके अधिकार क्या - क्या हैं और उन्हें कैसे औरों के साथ मिलकर संगठित होना चाहिए। जो ट्रेड यूनियन थी, प्रायः उसके नेता सवर्ण समाज से थे जबकि मजदूर ज्यादा दलित और पिछड़े वर्ग से थे। ऐसे में यूनियन को विभाजित करना आसान था और ऐसा हुआ भी। 1886 में 3 लाख से ज्यादा मजदूर अमेरिका में हड़ताल पर गए, 100 वर्ष बाद भी वह स्थिति भारत में नहीं हो पायी। मानव स्वभाव से लालची होता है तो व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिक कैसे अपने चरित्र को बदल सकते हैं? भारतीय मजदूरों का शोषण इसलिए भी ज्यादा हुआ कि वह जाति और वयक्तिगत स्वार्थ के कारण असंगठित कहीं ज्यादा तो संगठित कम। 1990 के बाद निजीकरण के दौर की शुरुआत हुई तो उसके बाद मजदूर आंदोलन और कमजोर पड़ता रहा। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और चलायमान पूंजी का दौर आया तो मालिकों के ऊपर दबाव भी कम हुआ। ज्यादा हड़ताल और धरना- प्रदर्शन जहां हुआ वहां से पलायन करके दूसरी जगह व्यवसाय कि शुरुआत की और मजदूर और बेरोजगार हो गया।

भारतीय मजदूर आंदोलन में एक नारा ज्यादा प्रचलित हुआ कि ''चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो'' मजबूरी का मतलब कि चाहे व्यवसाय घाटे में हो या डूब जाने कि स्थिति में भी हो तो भी मांगे पूरी की जाए। इस सोच में कोई ऐसी बुराई नज़र नही आती लेकिन जो निकम्मेपन कि संस्कृति थी वह और तेज़ हुई। कार्य करने कि संस्कृति हमारे यहां कम रही। जबतक मालिक या ठेकेदार खड़ा न रहे तो मजदूर कहां मन से काम करने वाले हैं। निश्चित कार्य का कोटा कर देने कि स्थिति में इनका व्यवहार कुछ और ही होता है क्योंकि मजदूरी उसके हिसाब से मिलनी है। दुनिया के और देशों में मजदूर जब अपना विरोध प्रकट करता है तो उत्पादन बढ़ा देता है लेकिन हमारे यहां ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। हमारा समाज व्यक्तिवादी है इसलिए मालिक हो या मजदूर अपने निजी हित को वरीयता देते है। कुछ समय पहले भारत संचार निगम लिमिटेड के विभिन्न मजदूरों का सम्मेलन हो रहा था और उनकी तमाम मांगे थी। मैं अतिथि के रूप में था तो पूछा कि जो निजी मोबाइल सेवा वाली कंपनियां हैं उनके पास कमजोर ढांचा होने के बावजूद क्यों मुनाफे में हैं? उनकी सेवाएं बेहतर क्यों हैं और बीएसएनएल लगातार घाटे में क्यों जा रहा है? क्या मजदूरों को इसके ऊपर चिंता नहीं करनी चाहिए? क्यों स्पर्धा वाली कंपनियाँ बीएसएनएल के कुछ अधिकारियों को प्रभावित करके अपना फायदा उठा रहीं हैं। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो और ऐसे में वह व्यापार प्रतिष्ठान कैसे जिंदा रह सकता है?

मई दिवस मजदूरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण तो है लेकिन उन्हें भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा। मजदूर एकता का मतलब यह नहीं है कि व्यवसाय प्रतिष्ठान घाटे में जाए। ट्रेड यूनियन और मजदूर संगठन में कुछ असमाजिक तत्व भी है जो दिखावे के लिए तो मजदूर नेता है, जबकि उनका निशाना व्यक्तिगत फायदा उठाने का होता है। प्रबंधन यदि उनके व्यक्तिगत चाहत को पूरा करता रहे तो सब ठीक-ठाक चलता रहता है नहीं तो कुछ बहाना बना कर धरना -प्रदर्शन आंदोलन की शुरुआत ही करा देते हैं। मई दिवस का बहुत महत्व है इसलिए मालिकों और मजदूरों को समझना चाहिए कि यह दिन सभी के लिए शुभ दिन है। मजदूरों का हक मारकर बहुत छलांग नहीं लगाई जा सकती इससे मुनाफे की होड़ और प्रसार को भी बल नहीं मिलेगा यदि न्याय नहीं दिया जाता है। देखा जाता है कि मुनाफा निकाल कर के दूसरे व्यापार शुरू कर देते हैं या धन बाहर भेज दिया जाता है और ऐसे में मजदूरों के सहयोग की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। हाल में ही एक उद्योगपति भारत छोड़ करके भाग गए, इन्होंने मजदूरों और कर्मचारियों का जो पैसा काट कर सरकारी खजाने में जमा करना था वह भी खा गए। दूसरे देश के मजदूर और कर्मचारी आसानी से ऐसे लोगों को नहीं छोड़ते लेकिन हमारे यहां एकता के अभाव में ऐसा होता रहा है। मजदूर की जाति मजदूर होनी चाहिए। देखना है कि यह सपना कब पूरा होता है।

- डॉ0 उदित राज

✦✦✦

डॉ. उदित राज द्वारा लोक सभा में दलित समस्याओं के संबंध में पूछे गए प्रश्न

26 अप्रैल, 2016 को अतारांकित प्रश्न

अनुसूचित जाति के उद्यमियों के संबंध में सर्वेक्षण

डॉ0 उदित राज : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अ.जा. उद्यमियों की संख्या जानने के लिए कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा और परिणाम क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार का अध्ययन/सर्वेक्षण कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री विजय सांपला)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपने 67वें दौर में जुलाई, 2010 से 2011 के दौरान देश में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 एम (1) तथा (2) के अंतर्गत पंजीकृत विनिर्माण उद्यमों, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत उद्यमियों, सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सरकारी समितियों और निर्माण में लगे सेवा क्षेत्र के उद्यमों को छोड़कर विनिर्माण व्यापार और प्रोपराइटर एवं भागीदारों द्वारा संचालित अन्य सेवाओं से संबंधित गैर-कृषिगत् उद्यमों के संबंध में एक बड़े पैमाने का नमूना सर्वेक्षण संचालित करया था।

इस सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार, 13.4 प्रतिशत उद्यम अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंध थे। निर्माण और व्यापार से संबंधित उद्यम क्रमशः 13.5 प्रतिशत तथा 11.8 प्रतिशत अनुसूचित जाति श्रेणी के हैं।

3 मई, 2015 को अतारांकित प्रश्न

डॉ. उदित राज : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) सरकार की अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु हॉस्टल के निर्माण हेतु क्या हिस्सेदारी है,

(ख) अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, भोजन की व्यवसथा, हास्टल में रहने और अनुरक्षण हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और हॉस्टलों की संख्या में किस सीमा तक वृद्धि किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार का उक्त प्रयोजन हेतु अनुदान में वृद्धि करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसे कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री

(श्री विजय सांपला)

(क) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण 'बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) योजना के अंतर्गत किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशसनों, केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के लिए नये छात्रावास भवनों के निर्माण तथा मौजूद छात्रावास सुविधाओं के विस्तार दोनों के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। निजी क्षेत्र में एनजीओ ओर मानित विश्वविद्यालय केवल मौजूदा छात्रावास सुविधाओं के विस्तार के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु पात्र हैं। भारत सरकार का हिस्सा निम्नानुसार है:-

अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास के लिए:-

(1) राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालय/संस्थाएं : 100 प्रतिशत

(2) एनजीओ और निजी क्षेत्र में मानित विश्वविद्यालय : 90 प्रतिशत

अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के लिए:-

(1) मैजिंग शेयर आधार पर राज्य सरकारें : 50 प्रतिशत

(2) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन : 100 प्रतिशत

(3) केन्द्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान : 90 प्रतिशत

(4) राज्य विश्वविद्यालय / संस्थान : 45 प्रतिशत

(5) एनजीओ और निजी क्षेत्र में मानित विश्वविद्यालय : 45 प्रतिशत

यदि संबंधित राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशसन राज्य विश्वविद्यालयों / संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों/निजी क्षेत्र में मानित विश्वविद्यालयों को अपना 45 प्रतिशत हिस्सा नहीं देते हैं, तो राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का हिस्सा भी संबंधित कार्यान्वयनकारी एजेंसियों द्वारा वहन किया जाता है।

(ख) इस योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के संबंध में छात्रवृत्ति की पात्रता हेतु अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के माता-पिता की आय सीमा प्रति वर्ष 2.50 लाख रूपये है। छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए अनुरक्षण भत्ता अध्ययन पाठ्यक्रम के आधार पर वर्गीकृत समूहों के अनुसार होता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

समूह एवं छात्रावास में रहने वालों के लिए प्रतिमाह अनुरक्षण भत्ता (राशि रूपये में)

समूह-1

(मेडिसिन, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस/आईसीएफए, एफ.फिल, पी.एच.डी., एलएलएम, आदि) : 1200 रूपये

समूह - 2

(व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिनमें उपाधि, फार्मेसी, नर्सिंग में डिप्लोमा, एल.एल.बी., होटल मैनेजमेंट आदि की डिग्री मिलती है) : 820 रूपये

समूह - 3

(वे सब अन्य पाठ्यक्रम जिनमें स्नातक की डिग्री मिलती है) : 570 रूपये

समूह-4

(मैट्रिकोत्तर स्तर के सभी गैर-डिग्री पाठ्यक्रम और व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आदि)

(ग) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

✦✦✦

पंजाब परिसंघ का सम्मेलन सम्पन्न

लुधियाना, 8 मई, 2016.

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसघ, की पंजाब इकाई की ओर से 8 मई, 2016 को पाल ऑडोटोरियम, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लुधियाना में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हुआ। जिसमें परिसघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ0 उदित राज, सांसद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ राष्ट्रीय महामंत्री, श्री ब्रह्म प्रकाश भी थे। इस अवसर पर विशेष तौर पर जम्मू एवं कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष आर.के. कलसोत्रा शामिल हुए। यह सम्मेलन प्रदेश में अनुसूचित जाति/जन जाति की मुश्किलों के संबंध में करवाया गया। सम्मेलन की शुरुआत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को फूलों का हार पहनाकर और दीप प्रज्वलित करके की गई। पंजाब प्रदेश अध्यक्ष तरसेम सिंह घरू ने आए हुए अतिथियों का अभिनंदन किया और प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे अत्याचारों की आलोचना की। वहीं पदेश के कर्मचारियों/अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण न दिए जाने और इसी विषय के संबंध में हाई कोर्ट में चल रहे केसों का हवाला देकर पदोन्नति को रोका जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में 85 में संवैधानिक संशोलन को, पंजाब सरकार लागू

तरसेम सिंह घारू के नेतृत्व में डॉ. उदित राज जी का स्वागत करते हुए परिसंघ की पंजाब इकाई

सम्मेलन मे उपस्थित जनसमूह

करने में असफल रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि भारतीय संवैधानिक संशोशन 117 को लोक सभा में जल्द पास करके आरक्षण ऐक्ट बनाया जाए। अनुसूचित जाति / जन जाति के विद्यार्थियों की वजीफा महंगाई की दर से बढ़ाया जाए। इस सम्मेलन को प्रिंसिपल गुरुदेव सिंह – मूलापुर, डॉ0 मुकेश अनारिया –चंडीगढ़, रोहन सोनकर – दलित हेल्पलाइन लुधियाना, अजय चौहान, अध्यक्ष – विराट अम्बेडकर शक्ति दल और ब्रह्म प्रकाश, राष्ट्रीय महामंत्री ने भी संबोधित किया।

उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए डॉ. उदित राज जी ने कहा कि पंजाब में छोटे-छोटे संगठन होने की वजह से दलित अपनी शक्ति बांट रहे हैं। वे एक बड़े संगठन में शामिल होकर अपनी मांगें मनवा सकते हैं। उन्होंने कांशीराम जी का जिक्र करते हुए कहा कि वे पंजाब प्रदेश के होने के बावजूद प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बना पाए और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। इससे पता चलता है कि पंजाब प्रदेश के दलित अपनी शक्ति को नहीं पहचानते। अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग अगर अपने अधिकारों की जंग लड़ना चाहते हैं तो उनको एक मंच पर आना होगा। उन्होंने आगे कहा कि 85वें संवैधानिक संशोधन ने अनुसूचित जातियो एवं जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित समस्त अवरोधों को समाप्त कर दिया था। इसके बाद इसे उच्चतम न्यायायल में चुनौती दी गयी तो उच्चतम न्यायालय की पांच जजों की बेंच ने कुछ संशोधनों के साथ पदोन्नति में आरक्षण बहाल रखा, यह केस नागराज बनाम अन्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कई उच्चतम न्यायालयों ने पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ निर्णय दिए, जो गलत है। उच्चतम न्यायालय के पांच जजों के फैसले को निचली अदालत के एक या दो जजों की बेंच नहीं बदल सकती। गत् 30 अप्रैल, 2016 को जबलपुर हाई कोर्ट ने म. प्र. में पदोन्नति में आरक्षण के विरुद्ध फैसला दिया है, इससे लगभग 60 हजार अधिकारी-कर्मचारी पदावनत होने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में यही सभी प्रदेशों में होने वाला है।

मंच का संचालन दर्शन सिंह चंदेढ़, प्रदेश महामंत्री ने बखूबी किया। इस समय भजन सिंह समाघ, अमित जस्सी, जगदी धनोवाली, चौधरी बलवीर सिंह, राजेश द्रविड़, जगदीश सिंह धालीवाल – बठिंडा, विक्रमजीत सिंह, श्री हर्षधन – राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्टुडेंट फ्रंट भी शामिल हुए। इस सम्मेलन को रोहित सोनकर, अजय चौहान, मनोज चौहान, अमन सहोता, दीपक सोनकर ने विशेष योगदान देकर सफल किया और प्रदेश संगठन को मजबूत करने का भरोसा दिया।

– तरसेम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष
मो. 9855048742

डॉ0 उदित राज के मुख्य आतिथ्य में रेलकर्मियों का सम्मेलन जोधपुर में सम्पन्न हुआ

जोधपुर, 4 मई, 2016

रेलवे के सभी विभागों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के आरक्षण रोस्टर को अपडेटेड कर एवं आनलाइन कराने, रिक्त वैकलॉग पदों की भर्ती, समय पर पदोन्नति आदि मांगों के लिए अनुसूचित जाति एवं जन जाति रेल कर्मचारियों का सम्मेलन अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. उदित राज, सांसद के मुख्य अतिथ्य में 4 मई, 2016 को रेल सामुदायिक हॉल, जोधपुर, राजस्थान में सम्पन्न हुआ।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ0 उदित राज ने कहा कि जितने लंबे समय से दलित-आदिवासी वर्ग का शोषण हो रहा है, इसके मुकाबले में आरक्षण दिए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान गौतम बुद्ध ने भी छुआछूत और भेदभाव का विरोध किया था। इसका मतलब है कि व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही है। आरक्षण यदि ईमानदारी से लागू किया गया होता तो काफी हद तक समस्याओं का समाधान हो गया होता, लेकिन इसे सीमित क्षेत्र में लागू किया गया। 70 वर्ष के इतिहास में दलित समाज के

जोधपुर में परिसंघ के साथियों के साथ डॉ. उदित राज

जोधपुर मे उपस्थित जनसमूह

दलित समस्याओं पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए डॉ. उदित राज एवं ब्रह्म प्रकाश

दो ही जज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। भारत सरकार में लगभग 150 सचिव में से दो या तीन ही दलित होगें। डॉ0 उदित राज ने यह भी कहा कि पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए और यह बिल जल्दी पारित होना चाहिए। क्योंकि आज भी अच्छी पोजीशन पर दलित और आदिवासी नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए हम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर द्वारा कठिन परिश्रम से दिलाया गया आरक्षण गरीबी दूर करने का हथियार नहीं बल्कि उनको मान-सम्मान दिलाने और प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए है।

डॉ0 उदित राज ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्ज्वलित कर सम्मेलन की शुरूआत की। रेलवे की और से श्री मुकेश मीणा ने सम्मेलन में पधारे अतिथियों का स्वागत भाषण से अभिनन्दन किया। परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री ब्रह्म प्रकाश, नई दिल्ली रेलवे से श्री ओ.पी. मीणा, जोधपुर रेलवे से श्री मुकेश मीणा, परिसंघ की राजस्थान यूनिट के संयोजक श्री मूलाराम खोरवाल, पाली के जिलाध्यक्ष श्री मोहन लाल रासु, समाजसेवी श्री मनोहर लाल समरिया, विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मेलन में शामिल हुए और सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में रेल कर्मचारी नेता मुकेश मीणा, हनुमान प्रसाद, सुरज्ञान मीणा, हंसराज मीणा, प्रदीप विमल, घनश्याम बैरवा, प्रकाश तंवर, बुधराम मीणा, बी.एल. भाटी, किस्तूर राम बरूपाल, प्रकाश पण्डित, रामकिशोर बुनकर, ओपी जयपाल, एम. आर. डांगी ने भी अपने विचार व्यक्त किये। जोधपुर, बीकानेर और अजमेर रेल मण्डल सहित भगत की कोठी, डीजल शेड, रेलवे कार्यशाला समदड़ी, मेड़ता रोड, डेगना, जैसलमेर, बाड़मेर आदि में सेवारत् अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रेल कर्मचारी भारी संख्या में इस सम्मेलन में शामिल हुए। परिसंघ के राजस्थान के प्रदेश महासचिव विश्राम मीणा ने सम्मेलन की अध्यक्षता की और सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और आयोजन मण्डल के प्रति आभार व्यक्त किया।

विश्राम मीणा
प्रदेश महासचिव, राजस्थान
मो. 9413915275

नसोसवाईएफ ने पूरे देश में मनाई बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर जयंती

नेशनल एस.सी., एस.टी., ओबीसी एंड यूथ फ्रंट (नसोसवाईएफ) ने देश के विभिन्न जिलों में बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई गयी। जयंती के अवसर पर नसोसवाईएफ के छात्रों और युवाओं ने जातिविहीन – समतामूलक समाज की स्थापना करने का संदेश दिया है। बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर का पूरा जीवन संघर्ष जातिविहीन – समतामूलक समाज के निर्माण के लिए समर्पित था। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के कारण हजारों वर्षों से दलितों, आदिवासियों का शोषण होता आ रहा है। पिछले 25 सालों में 63 लाख दलित जातीय शोषण का शिकार बने हैं। सामूहिक बलात्कार, हत्या, सामाजिक बहिष्कार, अपमान दलितों को झेलना पड़ा है। आज़ादी के 68 वर्ष बाद भी शिक्षण संस्थानों में जातिव्यवस्था को तोड़ने वाली शिक्षा नहीं दी गयी। जाति एक गंदी सामाजिक व्यवस्था है और उससे समाज बिखरा हुआ है। ऐसी सामाजिक गंदगी को साफ करने की शिक्षा शिक्षण संस्थानों में प्रदान नहीं की जाती। इसके विरुद्ध शिक्षण संस्थानों में जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है। बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने अपनी किताब 'एनहिलेशन ऑफ कास्ट' में जातिव्यवस्था का अंत करने के बारे में अपने विचार रखे और इन्हीं विचारों का प्रचार-प्रसार नसोसवाईएफ बाबा साहब डॉ. अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर करने का संकल्प लिया है।

नसोसवाईएफ ने म. प्र. के छत्तरपुर जिले में 125वीं जयंती के अवसर पर छत्तरपुर और टीकमगढ़ जिलों में 'भारत चला अम्बेडकर की ओर' शीर्षक से 14 दिनों की साइकिल रैली का आयोजन किया था। यह रैली नसोसवाईएफ के म. प्र. के सचिव, प्रकाश अहिरवार के नेतृत्व में 125 छात्रों और युवाओं के साथ छत्तरपुर और टीकमगढ़ के विभिन्न शहरों, तहसील, देहात और मुहल्लों में सभाएं कीं और जातिविहीन समतामूलक समाज स्थापित करने का संदेश लोगों तक पहुंचाया। इस रैली के दौरान छात्रों ने 700 कि.मी. साइकिल चलाई। विभिन्न जगहों पर इन छात्रों का लोगों ने स्वागत किया और रैली के दौरान 14 अप्रैल, 2016 को बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती का भव्य कार्यक्रम जिले के तहसील बढ़ा मलेरा मनाया गया। 5 अप्रैल से शुरू हुई 14 दिन की साइकिल रैली का समारोह 17 अप्रैल को छत्तरपुर के राजा छत्रसाल चौराहा पर आयोजित किया गया था। इस समारोह के मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डी. हर्षवर्धन और राष्ट्रीय समन्वयक प्रताप सिंह

अहिरवार थे। इस कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश प्रदेश प्रभारी, ए. सैंडी सिंह और भूपेन्द्र अहिरवार ने किया था। इस वक्त साइकिल रैली में शामिल 125 नसोसवाईएफ के छात्रों को सम्मान चिन्ह और 'एन्हिलेशन ऑफ कास्ट्स' किताब देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रताप सिंह अहिरवार ने कहा कि अच्छी शिक्षा, रोजगार और दलित उत्पीड़न के खिलाफ नसोसवाईएफ संघर्ष कर रहा है। इस सघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए अम्बेडकरवादी समर्पित और त्यागी छात्र युवाओं की जरूरत है। वहां जरूरत सिर्फ हमारे संगठन के लिए नहीं बल्कि समाज के भविष्य के लिए और आने वाली क्रांति को सफल बनाने की है। इसलिए छात्र और युवा नसोसवाईएफ से जुड़ें। इस कार्यक्रम में हजारों छात्र उपस्थित थे। तीन घंटे तक छत्तरपुर का मुख्य चौराहा छात्रों ने बंद किया था।

प्रदेश की राजधानी भोपाल में नसोसवाईएफ के छात्रों व युवाओं ने 14 अप्रैल को प्रातः 11 बजे गांधी भवन से बोर्ड आफिस चौराहा स्थित बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा तक अभिवादन मोटरसाइकिल रैली निकाली। इस रैली का नेतृत्व नसोसवाईएफ के भोपाल जिलाअधीक्षक भूपेन्द्र सिंह सूर्यवंशी ने किया। इसका आयोजन समीर खान और बुंदेलसिंह ने किया था। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में 'मार्च फॉर कास्टलेस इंडिया' नामक मशाल रैली का आयोजन 14 अप्रैल को शाम 4 बजे किया गया था। इस मशाल रैली में 600 छात्र शामिल हुए। इस रैली का नेतृत्व नसोसवाईएफ के इंदौर संभागीय अध्यक्ष, सचिन पटेल जी ने किया। इस वक्त सचिन पटेल जी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि नसोसवाईएफ इस देश की जातीय व्यवस्था को हटाकर रहेगा। मनुस्मृति ने जातीय व्यवस्था बनाने का और जाति को टिकाए रखने का कानून बनाया है तो बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था तोड़ने का और समतामूलक समाज बनाने का कानून बनाया है। नसोसवाईएफ बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर का कानून लागू करने का कार्य कर रहा है। 125वीं जयंती के अवसर पर सचिन पटेल जी ने सभी को शुभकामनाएं दी और बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा को हार पहनाकर अभिवादन किया। यह रैली शहर के अम्बेडकर पार्क से शुरु होकर पी.जी. कॉलेज पर स्थित सभागृह में परिवर्तित हुई। इस सभा में विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं राजनैतिक दलों के नेताओं ने रैली का स्वागत भी किया। इस रैली का आयोजन बड़वानी जिलाध्यक्ष, राजेन्द्र नरगावे, हेमंत सोलंकी, ताराचंद बामने, लोकेश गोरे आदि साथियों ने किया।

बिहार में भी बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर की जयंती पर नसोसवाईएफ के रा. महासचिव, अजय पासवान के नेतृत्व में मनायी गयी। जिला आरा, भोजपुर के अनुसूचित जाति छात्रावास से लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर की शहर की मुख्य प्रतिमा तक हजारों छात्रों द्वारा पैदल मार्च किया। इस रैली में झंडे, नगाड़े और बाबा साहेब अम्बेडकर के नारों ने लोगों को आकर्षित किया था। इस रैली का आयोजन एडवोकेट आनंद वर्धन ने किया था।

महाराष्ट्र के अमरावती में 17 अप्रैल को नसोसवाईएफ ने जनसभा और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम का नेतृत्व विदर्भ प्रमुख प्रवीन रायबोले जी ने किया। इस कार्यक्रम में शहर के अम्बेडकरवादी गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था। उसी तरह एक शाम बाबा साहेब के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में 'मार्च फॉर कास्टलेस इंडिया' शीर्षक के तहत 14 अप्रैल 2016 को प्रातः 9 बजे से महात्मा ज्योतिबाफुले प्रतिमा से बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर की प्रतिमा तक मशाल रैली का आयेजन किया गया था। मसाल प्रज्वलित करने के लिए मुख्य अतिथियों में साइंस कॉलेज के प्राचार्य प्रो. गवई, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डी.हर्षवर्धन, प्रदेश के प्रभारी, के. बालाजी, महाराष्ट्र के जाने-माने दलित साहित्यकार डॉ. राजेन्द्र गोनारकर उपस्थित थे। इस रैली को संबोधित करते हुए डी. हर्षवर्धन जी ने कहा कि दलित-आदिवासियों के मान-सम्मान के लिए सामाजिक न्याय और भागीदारी के लिए छात्र और युवा अपने जिस्म के हरेक लहू के कतरे तक संघर्ष करना चाहिए। क्योंकि हमारे जिस्म का हरेक लहू कर कतरा बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के संघर्ष पर उधार है। नसोसवाईएफ बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों पर देश का निर्माण चाहता है और यह निर्माण दलित-आदिवासी छात्रों और युवाओं के दम पर ही हो सकता है। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करना हमारा मुख्य मकसद है और उसके लिए हमें साथ मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। इस अवसर पर बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के जीवन के ऊपर अपनी बात रखी। यह मशाल रैली महात्मा फुले प्रतिमा से निकलकर शहर के मुख्य रास्ते से बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा तक मशाल और ड्रेस कोड और झंडे लेकर रैली निकली थी। इस रैली का आयोजन नसोसवाईएफ के राज्य सचिव प्रवीन सूर्यवंशी, जिलाध्यक्ष धम्मपाल वाडवे जी ने किया था। वैसे तो नसोसवाइएफ ने देश के 60 से अधिक जिलों में बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया था।

2 मई, 2016 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय पर चर्चा के दौरान डॉ0 उदित राज जी ने होस्टल एवं एससीपी/टीएसपी के फंड के दुरूपयोग का मुद्दा उठाया

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि दलितों और अदिवासियों के उत्थान के लिए मुद्रा बैंक द्वारा इन्टरप्रीनियोर बनाने का पूरा प्रयास किया है और जहां एट्रोसिटीज ऐक्ट के तहत कन्वेक्शन तीन परसेंट था, ज्यादातर दोषी छूट जाते थे तो एट्रोसिटीज ऐक्ट को पास करके अभी हाल में रूल इससे संबंधित थे, उन्हें इश्यू किया इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। बाबा साहब की 125वीं जन्म शताब्दी विभिन्न रूप से मनाई गई, उसके लिए भी और बाबा साहब इंग्लैंड में जहां पढ़े थे, उस जगह को खरीद कर स्मारक घोषित किया, इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान है और ट्राइबल सब-प्लान है, जिस तरह से आंध्र प्रदेश की सरकार ने कानून बनाया था कि आबादी के अनुपात में जो प्लान बजट का एलोकेशन उनके ऊपर ही खर्च होना चाहिए, बस्ती के ऊपर होना चाहिए लेकिन हो क्या रहा है? हमने विरासत से ही पाया है कि जो स्पेशल कांपोनेंट प्लान और ट्राइबल सब-प्लान के तहत पैसा आना चाहिए था, आधे से ज्यादा कभी नहीं हुआ। ऐसी बहुत पहले की विरासत है।

उसके बाद जब भी वह पैसा जाता है तो डयवर्ट कर दिया जाता है। एससी और एसटी के पैसे से कहीं जेल बन रही है, कहीं रोड बन रही है, कहीं पुलिया बन रही है। स्पेशल कांपोनेंट प्लान और ट्राइबल सब-प्लान जो एससी एवं एसटी के आर्थिक विकास के लिए बना हुआ है, वह अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके ऊपर एक बिल लाया जाना चाहिए, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश सरकार लेकर आयी है और इसको मेंडेटरी बनाया है।

इसी तरह से सेन्ट्रल गवर्नमेंट की होस्टल बनाने की स्कीम है, उसमें राज्य सरकारों का रवैया बहुत ही निगेटिव है। मैं चाहूंगा कि इस सदन में उस पर चर्चा होनी चाहिए कि जो पैसा केन्द्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, चाहे स्कवेंजर्स के लिए, चाहे होस्टल्स के बनाने के लिए, चाहे प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, चाहे वेंचर कैपिटल के लिए हो। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सोशल जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट दी है, लेकिन वह लागू नहीं हुई है। वर्ष 2014-15 में 25 होस्टल्स बनने थे, लेकिन 14 होस्टल्स ही बन पाए। इसका कारण यह है कि राज्य सरकारें अपना कंट्रीव्यूशन नहीं देते हैं और न ही रेस्पांड करे हैं । उसी तरीके से वर्ष 2015-16 में 15 होस्टल्स बन पाए हैं, जबकि 25 होस्टल्स बनने चाहिए थे। यह राज्य सरकारों का रवैया है। मैं फिर से मांग करना चाहूंगा कि इसके ऊपर बहस होनी चाहिए कि केन्द्र सरकार पर जो दोषारोपण किया जाता है, उसके लिए राज्य सरकारें कहीं ज्यादा जिम्मेदार हैं। इसका बजट घटाया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि बजट को कम न किया जाए। पहले बजट 50 करोड़ रूपये था जो घटकर के 25 करोड़ रूपये हो गया है। इस वर्ष यह 5 करोड़ रूपये इसलिए हो गया है, क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा होस्टल बनाने की डिमांड नहीं आ रही है। इनके उत्थान के लिए जो कार्य होना चाहिए था, वह उनकी निष्क्रियता के कारण नहीं हो पा रहा है। उसी तरह से स्केवेंजर्स के आइडेंटिफिकेशन की बात है। केवल 12 हजार लोगों का अभी तक आइडेंटिफिकेशन किया गया है, जबकि लाखों की संख्या में स्कवेंजर्स हैं।

सरकार के द्वारा जो सहायता देनी है, वह आइडेंटिफिकेशन न होने की वजह से उन लोगों को सहायता नहीं मिल पा रही है। इसको भी नोट किया जाना चाहिए। वेंचर कैपिटल भी लगातार कम हुआ है। पहले वेंचर कैपिटल का जो अमाउंट हुआ करता था, उसमें लगातार कमी आ रही है। पहले यह दो सौ करोड़ रूपये हुआ करता था, अब यह 40 करोड़ रूपये पर आ गया है। मेरा माननीय मंत्री जी से अग्रह है कि इस वेंचर कैपिटल अमाउंट को घटाना नहीं चाहिए बल्कि बढ़ाया जाना चाहिए।

29 अप्रैल, 2016 को शून्यकाल के दौरान डॉ0 उदित राज जी ने पत्रों का जवाब न देने एवं लोक सभा को पेपरलेस करने का मुद्दा उठाया

अध्यक्ष महोदया, मैं दो बिंदुओं पर बात रखना चाहता था लेकिन एक का समाधान लगभग हो गया है कि पेपरलेस जो हमारी सरकार का डिजिटाइजेशन का प्रयास है, वह होने जा रहा है। दूसरी बात है कि इस साल जनवरी से लेकर अभी तक मैं 1940 पत्र लिख चुका हूं। वे इलैबोरेट हैं और पब्लिक ग्रिवैंसेज से संबंधित हैं। ज्यादातर पत्रों का रिप्लाई नहीं आता और तीन-चार तरह की परिस्थिति पैदा होती है। एक, माननीय सदस्य पत्र लिखते हैं लेकिन ज्यादातर पत्रों का रिप्लाई नहीं आता। दूसरे में यह बात आती है कि आपका पत्र मिल गया। तीसरे में आता है कि I am having the matter looked at. चौथे में आता है कि that matter has been considered, but it cannot be considered .... I myself write. आज हमारी पोजीशन इतनी खराब हो गई है कि मैं जब एम.पी. नहीं था और पत्र लिखता था तो उस समय ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आते थे। अभी 500-600 रिप्लाई आए हैं, लेकिन 4-5 भी पॉजिटिव नहीं है। यह ब्यूरोक्रेसी का काम है कि इतना लाइटली लिया जाता है।

मुझे प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य याद है कि हम आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं और अफसर मजा कर रहे हैं। बात वही है कि अफसर मजा कर रहे हैं, कोई मकैनिज्म डेवलप हो, जैसे हम एक लेटर लिखते हैं तो उसकी एक इन्वैंट्री होनी चाहिए।

मैडम, मैं कमिश्नर रहा हूं। मेरी वाइफ भी कमिश्नर हैं। हमें ब्यूरोक्रेसी से पर्सनली तकलीफ नहीं है, लेकिन एक माननीय सदस्य को कार्यकर्त्ता कीं जवाबदेही है। इसका कोई न कोई फैसला किया जाना चाहिए। कोई मकैनिज्म होना चाहिए या इंटरनेट सिस्टम डेवलप किया जाए जिसे मंत्री जी खुद देखें कि यह लेटर आया है, इसका जवाब गया है या नहीं। कोई न कोई मकैनिज्म होना चाहिए। यह आज की बात नहीं है बल्कि एक दशक से चला आ रहा है।

मैं 1996 में एडिशनल कमिश्नर (इन्कम टैक्स) था। मेरे खिलाफ फर्जी माननीय सदस्य का फोर्ज्ड लेटर गया। मैं ट्रांस्फर हो गया तो सोचा कि मैं ट्रांसफर क्यों हो गया। बाद में पता लगा कि एक माननीय सदस्य ने फोर्ज्ड लैटर लिखा था। मैं उसके आधार पर ट्रांस्फर हो गया जबकि सीनियर लेवल पर था। आज की परस्थिति है कि क्लर्क का भी कुछ नहीं हो पा रहा है। यह फर्क है।

5 मई, 2016 को शून्यकाल के दौरान केरल में दलित लड़की के साथ हुई बर्बरता का मुद्दा उठाया

सभापति महोदय, 28 अप्रैल, 2016 को कोचीन में दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ। उसे चाकुओं से बहुत ज्यादा गोदा गया, काटा गया कि उसकी अंतड़ी भी बहार आ गई। वर्ष 2012 के निर्भया वाले कांड से भी कहीं ज्यादा वीभत्स यह कांड है। यह ऐसे दौर में हो रहा है, जब केरल में चुनाव हो रहा है। केरल में मूलतः कांग्रेस और वहां के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का डॉमिनेशन रहा। खास तौर से, उसमें एक विशेष पार्टी के कार्यकर्त्ताओं को टारगेट बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज जे.पी. नड्डा जी और रूड़ी जी के नेतृत्व में हम लोग इलेक्शन कमीशन से मिले और उनसे आग्रह किया कि पैरामिलिट्री फोर्सेज की निगरानी में वहां पर चुनाव किया जाना चाहिए। इस तरह से केरल में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। उन्हें डराया जा रहा है। अभी हाल में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने आरक्षण पर कुठाराघात किया। इस तरह से उन लोगों पर चारो तरफ से कुठाराघात हो रहा है।

परिसंघ की सदस्यता का विवरण भेजें

बार-बार आग्रह करने के बाद भी अभी तक अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की जो सदस्यता की रसीदें जारी की गयी थी, वापिस नहीं आ सकी हैं। परिसंघ के प्रदेश, जिला, ब्लाक इकाइयों के पदाधिकारियों व शुभचिंतकों, जिनके पास सदस्यता की रसीदें हैं, वे नाम, मोबाइल नं., जिला एवं प्रदेश लिखकर नीचे लिखे प्रारूप में अतिशीघ्र parisangh1997@gmail.com पर ईमेल करें।

सदस्य का नाम	मोबाइल नं.	जिला	प्रदेश

– डॉ0 उदित राज,
राष्ट्रीय अध्यक्ष

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए
एक वर्ष : 150 रुपए

Canadas Prime Minister apologized for Komagata Maru, when will Sikh Jathedars apologize for Jallianwala Baghmassacre?

Justin Trudeau, Canada's Prime Minister, on 11th April 2016 said, "next month, I will rise in the House to offer an apology to Sikhs for the Komagata Maru incident." Komagata Maru was ship that sailed from Hong Kong to Vancouver in 1914, carrying 376 people, mostly Sikhs, were denied entry to Canada. Ship had to return to Calcutta, where a few people were shot dead by British and rest were jailed.

So, almost 100 years later, Prime Minister of Canada has offered apology. World War – I ended in November 1918 and people from Punjab who fought in that war (mostly from lower castes) came back to homes. They decided to pay homage, say thanks, offer prayers at Golden Temple, Amritsar for keeping them alive at World War-I. These lower caste people were stopped by Sikh Jathedars (clergy) from entering the Golden Temple.

Did you know?

Till 1920, Dalits'/Untouchables' Prasad/Religious offering wasn't accepted at the Darbar Saheb/Golden Temple and no ardas/prayer was done on the name of Dalits/untouchables.

(Reference: 'The Heritage of Amritsar' by S. S. Johar)

As described by Dalit writer, Gurnam Singh Muktsar, to protest this inhuman behavior and not letting lower castes to enter Golden Temple, lower castes (Dalits) decided to gather at Jallianwala Bagh and stage a protest against caste discrimination.

Sikh Jathedars could not digest that Dalits organising protests for equal rights. At that time, head of Golden Temple was Giani Arur Singh, grandfather ofSimranjit Singh Mann who is president of the Shiromani Akali Dal.

On 13th April, 1919 when Dalits were protesting against the inhuman behavior of Sikh leaders, on the directions of Jathedar Arur Singh, General O'Dwyer opened fire on people who were protesting atJallianwala Bagh. In Jallianwala Bagh massacre thousands of people died.

Later, Jathedar Arur Singh invited General O'Dwyer to Golden Temple and honored him not only with Siropa but also offered him Turban and Kirpan. Jathedars even declared him a true Sikh despite O'Dwyer being a smoker! (In Sikhism smoking isn't allowed.)

Since then, every year people gather at Jallianwala Bagh and Sikh leaders give lengthy speeches. It's almost 100 years since Jallianwala Bagh massacre, where 1000s of lower caste people were butchered. No apology has even been issued from Golden Temple management nor a decision to honor General O'Dwyer been revoked. Sikhs are happy with Canada's Prime Minister apologizing forKomagata Maru. I would ask when Sikh Jathedars (Golden Temple Management) will apologize for Jallianwala Bagh massacre?

www.drambedkarbooks.com

✦✦✦

Buddha Purnima: Ancient Buddhist city in Afghanistan could be destroyed by copper mining

A2,000-year-old Buddhist city, Mes Aynak in Afghanistan, rich in stupas, shrines and monuments could be razed to the ground if a Chinese mining company is allowed to prospect for huge copper reserves on which the city sits.

The massive 500,000 square metre area straddling a 5,000-year-old Bronze Age settlement sat on what was once the cultural crossroad linking Asia to the Mediterranean.

An estimated $100bn (£66bn) worth of copper lies locked within Mes Aynak.

Around 600 large Buddha statues, and frescoes showing scenes from the life of the Buddha, have been unearthed to date, but the site is enormous and many more treasures are expected to be buried beneath.

"Some believe future discoveries at the site have the potential to redefine the history of Afghanistan and the history of Buddhism itself," reports Saving Mes Aynak.

The Afghanistan government and a Chinese state-owned mining company, the China Metallurgical Group Corporation, plan to mine the area. To reach the deposit, the site along with six surrounding villages have to be destroyed, reports Popular Archaeology.

The company plans to use open-pit mining, which is one of the most environmentally destructive style of mining that often leaves behind a trail of destruction, including erosion, tailings, groundwater contamination by chemicals, etc.

Afghan archaeologist Qadi Temori and American documentary film director Brent Huffman are working to raise international pressure on the company and the Afghanistan government in a bid to buy more time for archaeologists to retrieve and preserve the monuments before the site is destroyed.

The Saving Mes Aynak team has launched a crowdfunding campaign on Indiegogo.

The campaign hopes to persuade Afghanistan President Mohammad Ashraf Ghani to spare the site from destruction via designation as a Unesco World Heritage Site.

Discovered in 1964, political upheaval in the region prevented the site from being excavated. In 2004 French archaeologists who returned to the site reported that it had been extensively looted.

Located 25 miles southeast of Kabul near the Pakistan border in the Taliban-controlled Logar Province, it lies on a major transit route for Pakistani insurgents.

The Buddha statues of Bamiyan were dynamited and destroyed in March 2001 by the Taliban after being declared as idols. Bamiyan too lies on the Silk Road.

Afghanistan is believed to be sitting on a geological gold mine containing around 60 million tonnes of copper, 2.2 billion tonnes of iron ore, 1.4 million tonnes of rare earth elements and tonnes of aluminium, gold, silver, mercury and lithium, totalling more than half a trillion pounds, according to the US Geological Survey.

The minerals were deposited in the region during the violent collision of the Indian subcontinent with Asia.

http://www.ibtimes.co.uk/buddha-purnima-ancient-buddhist-city-afghanistan-could-be-destroyed-by-copper-mining-1499561

✦✦✦

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 19 ● Issue 12 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 May, 2016

Article published in The Indian Express on 13th May, 2016

Not Without Reservations

Tina Dabi didn't avail of reservations, but they made her achievement possible.

Dr. Udit Raj

Napoleon Bonaparte said "ability is nothing without opportunity". This assertion describes the case of Tina Dabi, who has topped the civil services examination 2015 at the age of 22. Just after the results were declared, when social media was flooded with reports that a Dalit girl has topped the UPSC, it seemed unbelievable to me. This achievement could not have been possible 40-50 years ago. Dabi has not availed of the quota, but reservation has provided the opportunities, of which her triumph is the byproduct.

Down the years, reservation has been an issue of debate, and some in our country think that it is hampering efficiency while another section of people sees it as a shrinking of opportunities.

It was the East India Company that started the coveted civil services in 1757, whose members signed covenants with the Company; the Macaulay committee gave India its first professional bureaucracy in 1854 which recommended that the patronage-based system of the East India Company be replaced by a permanent civil service based on merit and competition.

Indians were not qualifying, so there was a demand led by Dadabhai Naoroji for their inclusion. If during the British regime, the upper strata of Indians fought for inclusion, later it was Dalits after the Poona Pact and backwards through the Mandal Commission.

A study, conducted jointly by Thomas Weisskopf of Michigan University and Ashwini Deshpande of Delhi School of Economics to measure the impact of reservations on efficiency, concluded that reservations have not hampered the efficiency of administration, rather they have enhanced quality. The example of the Indian railways proves that where SC/ST employees are more in number, the results have been better. In the course of the study, zones and periods of time with a higher number of SC/ST employees were compared with those with lower numbers, keeping other variables constant. They found no negative impact on productivity and efficiency in any area, and positive effects in some areas of work.

Those coming from marginalised sections are highly motivated to perform well when they attain decision-making and managerial positions.

The policy of reservation has not harmed, rather it has integrated, society. Only those who do not see it in the wider context harbour ill will and heartburn. It should also be welcomed from the nationalistic and humanist point of view. In the US, too, affirmative action has opened up spaces for African Americans and Hispanics; African Americans can be seen in every field, be it journalism, film, industry, politics or sport. In South Africa, a cricket team cannot be constituted without blacks.

It is environment and opportunity that shapes merit. In Locke's philosophy, tabula rasa was the theory that the mind is at birth a "blank slate" without rules for processing data, and that data is added and rules for processing are formed solely by one's experiences.

Merit is much talked about in our society to criticise and oppose reservation but merit mongers should not be under any illusion. We are far behind many developed countries as far as the frontiers of research and technology are concerned, but the reason is not reservation. It is the intelligentsia and middle class who bring about a change in society, but that has not happened. Rather. most of the progress and change is expected from politicians.

We have a robust education system which could have changed society and at the same time produced thousands of inventions and technologies. We need to ask ourselves seriously why that has not happened, what stands in the way. Women have also not got the opportunity to contribute to the greater good; they too deserve that we devise ways to open up spaces for them to advance and rise.

Let the marginalised avail opportunities till Tina Dabi does not remain an exception.

The writer is a Member of Parliament (Lok Sabha). Views expressed are personal.

- See more at: http://indianexpress.com/article/opinion/columns/upsc-topper-ias-upsc-result-tina-dabi-2797573/#sthash.tixRHj tG.dpuf

Dr. Udit Raj raised in Lok Sabha an issue affecting 60,000 Dalits in Madhya Pradesh

New Delhi: Member of Parliament (Lok Sabha) raised during zero hour in Parliament the issue of reservation in promotion in Madhya Pradesh. On Saturday 30th April 2016, the Jabalpur High Court had struck down the provision of reservation in promotion in Government departments by declaring the Madhya Pradesh Civil Service Promotion Rules, 2002 as un-Constitutional. The High Court has said that the Rules are in violation of the Supreme Court order in the Nagaraj case. Dr. Udit Raj said in Parliament that if these Rules were in violation of the Nagaraj judgment, then the Government of Madhya Pradesh could have been directed to carry out the necessary amendments. He also said that the High Court could have continued with the precedent set by the Nagaraj case, and it was not necessary that reservation in promotion be stopped. Around 60,000 Dalit employees are likely to be affected by this judgment. Dr. Udit Raj requested the Government immediately file a review or curative petition in the Supreme Court so that thousands of Scheduled Caste and Scheduled Tribes are not affected.

Dr. Udit Raj said that when the situation and conditions are in favor of reservation, the higher judiciary does not allow the needy to take advantage of it. Recently, the Nainital High Court has also commented on the actions of the President and the higher judiciary is now trying to bring even the office of the President under its ambit. Who is responsible for oversight of the judiciary? The Government had amended the Constitution to bring into force the National Judicial Appointments Commission, which was struck down by the Supreme Court. Now the judiciary is complaining that cases have been pending for several years. Since 1993, the collegium has been appointing judges – then why is the judiciary complaining? Dr. Udit Raj said that the judiciary is trying to encroach into the Constitutional duties of the legislature and executive, which will have a long term adverse effect on the Constitution. Hence, this decision of the Jabalpur High Court should be immediately stopped.

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com **E-mail: parisangh1997@gmail.com** **Computer typesetting by C. L. Maurya**